फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री राजकुमार खींचड़ निवासी पोस्ट गोकलपुरा जिला सीकर

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 33/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.08.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढ़बोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पत्रांक सूकाअ /244205664663183/2023/56 दिनांक 04.07.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय पत्रांक सूकाअ /244205664663183/2023/52 दिनांक 03.07.2023 से ऑनलाइन सूचित किया गया कि बिन्दु 01 एवं 02 की सूचना कार्मिक की व्यक्तिगत सूचना होने से कार्मिक पटवारी परमा द्वारा सूचना उपलब्ध कराने में असहमति जाहिर किये जाने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है एवं बिन्दु संख्या 03 में कार्मिक की नियुक्ति से लेकर वर्तमान पदस्थापन का विवरण चाहा गया है, के संबंध में आदेश क्रमांक, दिनांक अंकित नहीं होने से सूचना अपूर्ण होकर सूचना तक पहुंच पाना संभव नहीं है लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु 01 एवं 02 की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ञ) के तहत देय नही होने तथा बिन्दू संख्या 03 की सूचना में विशिष्टियॉ अंकित नही होने एवं इस बाबत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सुकाअ/244205664663186/2023/52 दिनांक 03.07.2023 से अपीलार्थी को ऑनलाईन सूचित किये जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)